



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250479
CG-DL-E-07122023-250479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2023/अग्रहायण 16, 1945

No. 701]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2023/AGRAHAYANA 16, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2023

सं. 64/2023-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 884(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद इसे 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को जब भारत में आयात हो, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की उक्त धारा के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से छूट देती है, यथा: -

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0713 10 10	पीली मटर

2. यह अधिसूचना 08 दिसंबर, 2023, से लागू होगी और 31 मार्च, 2024 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/241/2023-टीओ(टीआरयू-1)]

अमृता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2023

No. 64/2023-Customs

G.S.R. 884(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the 'Customs Tariff Act'), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act and from the whole of the Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable thereon under the said section of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0713 10 10	Yellow Peas

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of December, 2023, and shall remain in force up to and inclusive of the 31st day of March, 2024.

[F. No. CBIC-190354/241/2023-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.